न्यायालय परगनाधिकारी, बिजनौर।

वाद संख्या- टी 201513160133

धारा–143 जंमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950

परगना–मण्डावर

मौजा–कवलनैनपुर

हकीम इसहाक एजूकेशन एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट मण्डावर द्वारा चै0 डा0 शमीम अहमद बनाम सरकार

निर्णय दिनांक 26-12-2015

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही हकीम इसहाक एजूकेशन एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट मण्डावर द्वारा चैयरमैन डा0 शमीम अहमद पुत्र मौ0 इसहाक आदि निवासीगण मौ0 काजियान कस्बा व परगना मण्डावर तहसील व जिला बिजनौर के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–143 जेड0ए0 एण्ड एल0आर0एक्ट दिनांक 06.12.2015 पर प्राप्त तहसीलदार, बिजनौर की आख्या दिनांक 22.12.15 के आधार पर प्रारम्भ की गयी। वाद दर्ज रजिस्टर किया गया।

तहसीलदार, बिजनौर की आख्या दिनांक 22.12.2015 में कहा गया है कि प्रार्थना पत्र पर क्षेत्रीय लेखपाल की आख्या ली गयी तथा स्थल निरीक्षण किया गया जिससे स्पष्ट है कि ग्राम कंवलनैनपुर परगना मण्डावर की वर्तमान खतौनी खाता संख्या 41 गाटा संख्या 89 क्षेत्रफल 1.135है0 लगान 26.05 पैसे राजस्व अभिलेखो में हकीम इसहाक एजूकेशन एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट मण्डावर द्वारा चैयरमैन डा0 शमीम अहमद पुत्र मौ0 इसहाक निवासी मौ0 काजियान मण्डावर तहसील बिजनौर हाल निवासी 223 ए0सिविल लाईन चन्द्रगुप्त होटल के सामने बरेली तहसील व जिला बरेली द्वारा सकेटरी हारून रसीद पुत्र रशीद अहमद निवासी मौ0 काजियान मण्डावर तहसील बिजनौर का नाम अंकित है। उक्त भूमि में कृषि कार्य, कुक्कुट पालन, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि कार्य नही हो रहा है। बल्कि मौके पर खाली पड़ी हुई है। भूमि चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत नही आती है। जोत चकबन्दी आकार–पत्र 45 में उक्त भूमि श्रीमती ताहिरा बेगम पत्नि शकील अहमद निवासी मण्डावर के नाम अंकित है। श्रीमती ताहिरा बेगम द्वारा उक्त भूमि का बैनामा दिनांक 28.07.2008 को श्रीमती फहमीदा पत्नि रसीद अहमद निवासी मौ0 काजियान मण्डावर के हक में किया गया तथा श्रीमती फहमीदा पत्नि रसीद अहमद द्वारा उक्त भूमि का बैनामा दिनांक 06.10.2015 को प्रार्थीगण के हक में किया गया है जिसमें नामान्तरण आदेश का अमलदरामद सलंग्न खतौनी पर अंकित है। अन्त में मौजा कंवलनैनपुर परगना मण्डावर के खाता संख्या 41 गाटा संख्या 89 क्षेत्रफल 1.135है0 लगान 26.05 पैसे को जंमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत लगान से मुक्त करते हुए भूमि को अकृषिक घोषित करने हेतु आख्या संस्तुति सहित उपलब्ध कराई गयी है।

मैने वादीगण एवं नामिका अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का भलि–भांति अवलोकन किया। वादीगण का कथन है कि मौके पर उक्त भूमि में कोई कृषि कार्य, कुक्कुट पालन, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि कार्य नही हो रहा । अतः उक्त भूमि का ज0वि0ज0वि0अधिनियम की धारा 143 नियम 135 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किया जाए। नामिका अधिवक्ता को उक्त आराजी को अकृषिक घोषित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

वादीगण एवं नामिका अधिवक्ता की बहस को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौजा–कंवलनैनपुर परगना मण्डावर के खाता संख्या 41 गाटा संख्या 89 क्षेत्रफल 1.135है0 लगान 26.05 पैसे में कृषि कार्य, कुक्कुट पालन, पशुपालन, मत्स्य

शेष—— 2 पर

पालन के प्रयोग में नहीं आ रही है। अतः उक्त भूमि को उ0प्र0जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 143 नियम 135 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार बिजनौर की आख्या दिनांक 22.12.2015 मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 143 जमींदारी विनाश अधिनियम स्वीकार किये जाते है। मौजा कवलनैनपुर परगना मण्डावर के खाता संख्या 41 गाटा संख्या 89 क्षेत्रफल 1.135है0 लगान 28.05 पैसे लगान को मुक्त करते हुए उ0प्र0ज0वि0अवि0 की धारा 143 नियम 135 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किया जाता है। आदेश की एक प्रति तहसीलदार बिजनौर को राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि हेतु तथा एक प्रति उप–निबन्धक बिजनौर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाये। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये।

दिनांकः–26–12–2015

Ammu

(अजय कुमार तिवारी)
परगनाधिकारी, बिजनौर।

आज यह आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित होकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः–26–12–2015

Ammu

(अजय कुमार तिवारी)
परगनाधिकारी, बिजनौर।

...का न0 16678
...का नाम आबुन्कीन शिशोरे
...प्र0 दिनांक 3/1/22
... 5/1/22
... 5/1/22
... 13
... 50

प्रतिलिपि कर्ता — मिलान कर्ता

सत्य प्रतिलिपि
5/1/22
प्रतिलिपि अधिकारी
राजस्व अभिलेख
कलैक्ट्रेट बिजनौर